

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग


गृह (गुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या... 306...
दिनांक... 1/2/21...
जयपुर, दिनांक 22 JAN 2021

क्रमांक : प.1(2)गृह-12/कारा/2019

:: आदेश ::


वर्ष 2021-22 में राजस्थान कारागार सेवा के निम्नांकित अधिकारी को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित तिथि को अपराह्न में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि	विचाराधीन विभागीय जांच/ शिकायत/ न्यायालय प्रकरण
1.	श्री बद्रीलाल मीणा	अधीक्षक ग्रेड-1	06.07.1961	31.07.2021	एक परिवार विचाराधीन। (जिला कारागृह टोंक में बंदियों से वसूली के संबंध में)

आज्ञा से.

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कारागार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, / विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 57673 दिनांक 17.12.2020 के क्रम में।
5. निदेशक, पेंशन एवं वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, गृह(गुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव,